डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 840/13
दिनांकः 10-4-13

सेवा मे,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय
रायभा, अछनेरा
आगरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याःसम्ब0-450/सत्तर-2-2012-2(450)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रबन्धन संकायान्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2012 से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-
1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
3- निजी सचिव कुलपति ।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

Scanned by CamScanner